

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

के.व्युलाल

विपक्षी

दुर्गा


मुकदमा

53188 270

पत्रावली संख्या

2919

सन्

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
<p>17/5/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/ प्रतिवादी/विपक्षी/रैरफा उपस्थित/पीठासीन अधिकारी मले.आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक...<u>20/9/22</u> को पेश हो।</p>	
<p>20/9/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/ प्रतिवादी/विपक्षी/रैरफा उपस्थित/पीठासीन अधिकारी मले.आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक...<u>28/11/22</u> को पेश हो।</p>	
<p>28/11/22 वहुताय वाली/प्रतिवादी उप./ <u>तजवी</u> के लिये मौका कहते है। अतः...<u>संक्षिप्त</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दि <u>02/01/23</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">SDO मावली</p>	
<p>02/01/23 वहुताय वाली/प्रतिवादी उप./ <u>नलजी</u> के लिये मौका कहते है। अतः...<u>संक्षिप्त</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दि <u>22/09/23</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">SDO मावली</p>	
<p>27/2/23 आज दिनांक की तार एतासिथेशन मावली में कार्य स्थगित रखने का अनुरोध किया। अतः पत्रावली पूर्व आदेशनुसार दिनांक... ...<u>24/4/23</u> को पेश हो।</p>	

27/4/23

पत्रावली तलब की गई। "प्रशासन गांवों के तंत्र अभियान-2023" आयोजित किया जाने से पत्रावली में अधिवक्ता पक्षकारान को सूचित किया जाकर पत्रावली कैम्प विनववास विनांक 27/4/23 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

27/4/23

पत्रावली आज कैम्प में पेश हुई। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजी-नामा नहीं हो पाया। अतः पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में न्यायालय हाजा में दिनांक-12.7.23 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

17/7/23

वक्तुलाय वादी / प्रतिवादी उप.
के लिये मौका चाहते है। अतः
भवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 27/10/23 को पेश हो।

SDO मावली

23/10/23

पत्रावली पेश वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/
प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पों उपस्थित/पीठासीन
अधिवक्ता महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग
में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
दिनांक 5/2/24 को पेश हो

05/02/24

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वारीगण मय वारीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता मय वारीगण को आवेजे दिलवाई गई। समय सांय 5:00 PM हो चुका है। अनुपस्थित है। अतः अधिवक्ता मय वारी अनुपस्थित रहने पर वादी का वाद अफम हाजरी अफम पैरबी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार लेकर नम्बर से कम हो।



सहायक कलक्टर
(SDO) मावली